Adjournment Motion in the Indian Parliament :

→ लोकसभा

- It is introduced in the Parliament to draw attention of the House to a definite matter of urgent public importance.
- यह संसद में किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है।
- This motion needs the support of 50 members to be admitted.
- इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- It involves an element of censure against the government.
- इसमें सरकार की निंदा का भाव निहित होता है।
- Rajya Sabha is not permitted to make use of this device
- राज्य सभा को इस उपाय का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- The discussion on an adjournment motion should last for not less than two hours and thirty minutes.
- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम दो घंटे और तीस मिनट तक चलनी चाहिए।

No-Confidence Motion in the Indian Parliament
(भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव)

Acc. To Article 75

- The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. This principle is the bedrock of parliamentary democracy./ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- It means that the ministry stays in office so long as it enjoys the confidence of the majority of the members of the Lok Sabha./ इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है।
- No grounds required to introduce this motion./ इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है।
- It is always moved against the entire CoM, not against individual ministers. / यह प्रस्ताव हमेशा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं।
- The motion needs the support of 50 members to be admitted. / इस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

Article 86

- Right of President to Address and send Message.
- राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार।
- President can address either house or both Houses jointly.
- राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं।
- President can send message regarding pending Bills or other matters.
- राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के संबंध में संदेश भेज सकते हैं।

Article 87

- The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the president.
- प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं।
- In this address, the president outlines the policies and programmes of the government in the preceding year and ensuing year./इस अभिभाषण में, राष्ट्रपति पिछले वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
- At the end of the discussion, the motion is put to vote./चर्चा के अंत में, प्रस्ताव पर मतदान होता है।
- This motion must be passed in the House. / इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना आवश्यक है।
- Not passing the motion amounts to the defeat of the government. / प्रस्ताव पारित न होना सरकार की पराजय के समान है।

Article 88

- Right of Ministers and Attorney General / मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार
- Right to speak in either house but can vote only in that house of which they are a member./ किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, लेकिन केवल उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं।
- Attorney General is not a member of either house but has the right to speak in Lok Sabha or Rajya Sabha, without having Right to Vote./ अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार दिए बिना लोकसभा या राज्यसभा में बोलने का अधिकार होता है।

Article 89

- Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha./ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति।
- The vice-president of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha./ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- As a presiding officer, the powers and functions of the Chairman in the Rajya Sabha are similar to those of the Speaker in the Lok Sabha./ एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, राज्यसभा में सभापति की शक्तियाँ और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं।
- The Chairman of Rajya Sabha (Unlike the Speaker) is not a member of the House/ राज्यसभा का सभापति (अध्यक्ष के विपरीत) सदन का सदस्य नहीं होता है।
- The Chairman also cannot vote in the first instance (similar to the Speaker). He too exercises casting vote/ सभापति भी प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता (अध्यक्ष की तरह)। वह भी निर्णायक मत का प्रयोग करता है।

Deputy Chairman of Rajya Sabha
(राज्यसभा के उपसभापति)

- The Deputy Chairman is elected by the Rajya Sabha itself from amongst its members.
- उपसभापति का चुनाव राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- Whenever the office of the Deputy Chairman falls vacant, the Rajya Sabha elects another member to fill the vacancy.
- जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है, तो राज्यसभा उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है।

Remember– the Deputy Chairman is not subordinate to the Chairman. He is directly responsible to the Rajya Sabha.

याद रखें - उपसभापति, सभापति के अधीनस्थ नहीं होता। वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

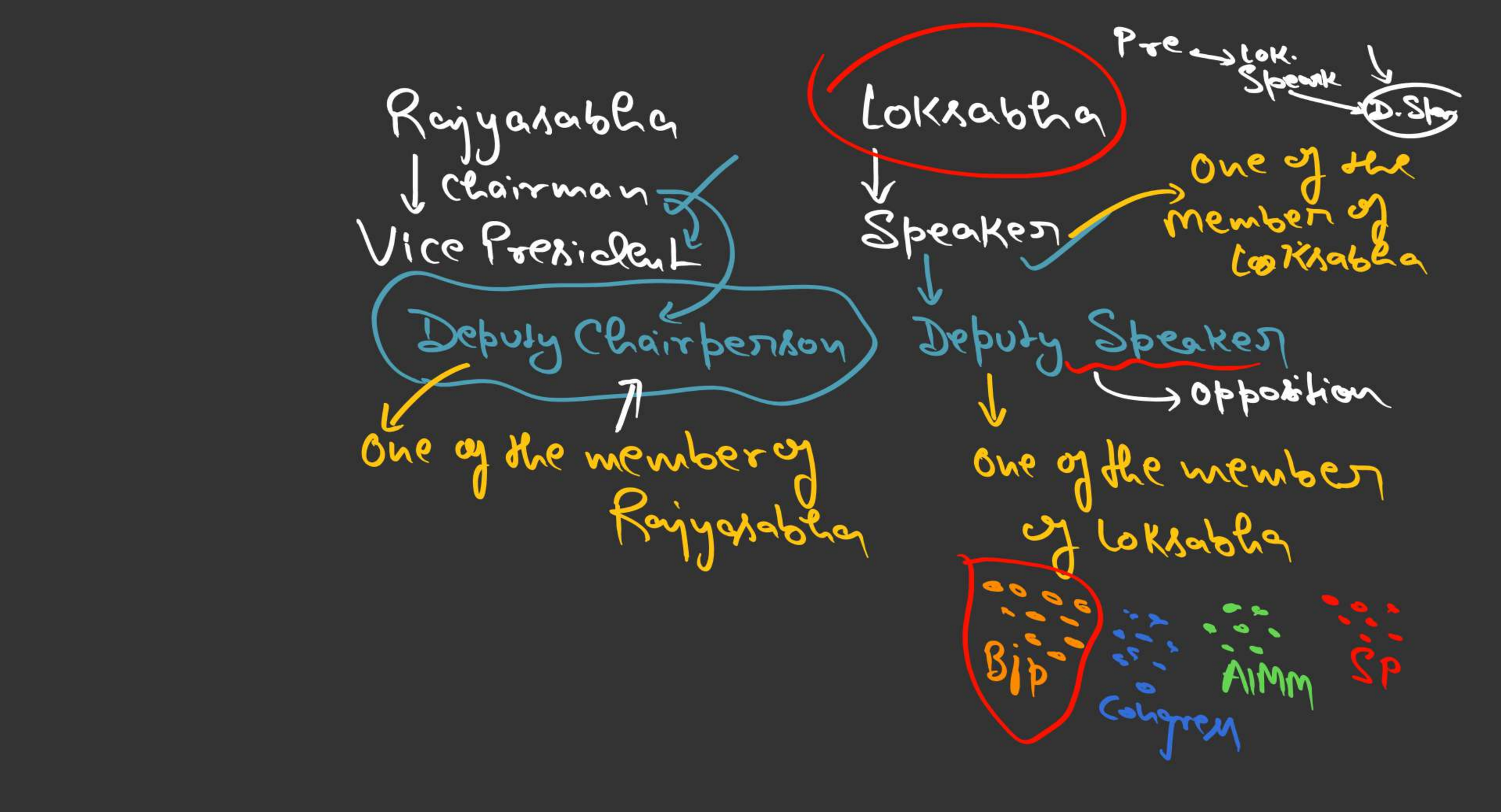

Rajyasabha
Chairman
Vice President
Deputy Chairperson
One of the member of Rajyasabha
Loksabha
Speaker
One of the member of Loksabha
Deputy Speaker
opposition
One of the member of Loksabha
Pre → Lok. Speak
D.Sp
Bjp
Congress
AIMM
SP

Article 90

Vacation, Resignation, Removal of Deputy Chairman.
अवकाश, त्यागपत्र, उपसभापति का हटाया जाना।

The Deputy Chairman vacates his office in any of the following three cases:
उपसभापति निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक में अपना पद त्यागते हैं:

- If he ceases to be a member of the Rajya Sabha / यदि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं
- If he resigns by writing to the Chairman of the Rajya Sabha / यदि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र देते हैं
- If he is removed by a resolution in Rajya Sabha/ यदि उन्हें राज्यसभा में एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है
- The Deputy Chairman is removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha (Absolute majority) and Such a resolution can be moved only after giving 14 days' advance notice./ उपसभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (पूर्ण बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है और ऐसा प्रस्ताव केवल 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।

Article 91

- Power/ Duty of deputy Chairman / उपसभापति की शक्तियाँ/कर्तव्य
- The Deputy Chairman performs the duties of the Chairman's office when it is vacant, absent or when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President. / उपसभापति, सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन तब करता है जब वह रिक्त हो, अनुपस्थित हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता हो या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता हो।
- When the Chairman presides over the House, the Deputy Chairman is like any other ordinary member of the House./ जब सभापति सदन की अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति सदन के किसी भी अन्य सामान्य सदस्य की तरह होता है।
- When the Deputy Chairman is presiding over the House, he can only exercise a casting vote and cannot vote in the first instance./ जब उपसभापति सदन की अध्यक्षता कर रहा होता है, तो वह केवल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है और प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता।

Article 92

- Chairman and deputy chairman not to Preside during their removal process./ सभापति और उपसभापति को अपने निष्कासन की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी है।
- they can participate in proceedings but cannot preside during their removal./ वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने निष्कासन के दौरान अध्यक्षता नहीं कर सकते।
- Can vote in first instance but not in the case of tie i.e. casting vote/ प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में नहीं, अर्थात निर्णायक मत।
- Chairman does not have the casting vote right in this case, as he is not a member of Rajya Sabha./ इस मामले में सभापति के पास निर्णायक मत का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं।

Article 93

Speaker and deputy speaker of Lok Sabha./ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

Evolution of Speaker and Deputy Speaker:/ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विकास:

- The institutions of Speaker and Deputy Speaker originated in India in 1921 under the provisions of the GoI Act of 1919(Montague-Chelmsford Reforms)/ भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संस्थाओं की शुरुआत 1919 के भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत 1921 में हुई।
- In 1921, Frederick Whyte and Sachidanand Sinha were appointed by the Governor-General of India as the first Speaker and the first Deputy Speaker(respectively) of the Central legislative assembly./ 1921 में, फ्रेडरिक व्हाइट और सचिदानंद सिन्हा को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा केंद्रीय विधान सभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष (क्रमशः) नियुक्त किया गया था।
- G.V. Mavalankar and Ananthasayanam Ayyangar had the distinction of being the first Speaker and the first Deputy Speaker (respectively) of the Lok Sabha. / जी.वी. मावलंकर और अनंतशयनम अय्यंगर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष (क्रमशः) होने का गौरव प्राप्त था।

Note: No deputy speaker appointed since 2019/ 2019 के बाद से कोई उपसभापति नियुक्त नहीं किया गया

G.V. Mavalankar also held the post of Speaker in the Constituent Assembly (Legislative) as well as the provisional Parliament. / जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा (विधान) के साथ-साथ अनंतिम संसद में भी अध्यक्ष का पद संभाला।

Election and tenure of Speaker

अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल

- The Speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members (as soon as may be, after its first sitting)
- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है (अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र)।
- The date of election of the Speaker is fixed by the President.
- अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

Removal of speaker/अध्यक्ष का निष्कासन:

- Resolution for removal must be passed by a majority of all then members of the Lok Sabha. (i.e. Absolute majority)
- उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (अर्थात पूर्ण बहुमत) से पारित होना चाहिए।
- Resolution for removal can be moved only after giving 14 days' advance notice
- उसे हटाने का प्रस्ताव केवल 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

Role and authority of speaker
(वक्ता की भूमिका और अधिकार)

- Speaker exercises a casting vote in the case of a tie and does not vote in the first instance. Its purpose is to resolve a deadlock. / बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं और पहली बार में मतदान नहीं करते। इसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना है।
- The Speaker adjourns the House or suspends the meeting in absence of a quorum (one-tenth of the total strength of the House) / गणपूर्ति (सदन की कुल संख्या का दसवाँ भाग) के अभाव में अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं या बैठक स्थगित कर देते हैं।
- Speaker presides over a joint setting (Art. 108) of the two Houses of Parliament./ अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता करते हैं।
- Speaker acts as the ex-officio chairman of the Indian Parliamentary Group/ अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- Speaker is the chairman of the-/ अध्यक्ष निम्न के अध्यक्ष होते हैं-
  - Business Advisory Committee / कार्य मंत्रणा समिति
  - Rules Committee/ नियम समिति
  - General Purpose Committee./ सामान्य प्रयोजन समिति

Parliament Committees

Permanent स्थायी

- Business Advisory

Ad-Hoc अस्थायी

- ये कमेटी किसी Specific कार्य के लिए बनायी जाती है।

* Loksabha Speaker Tie के केस में Vote (Deadlock) करते हैं।
* इनका Vote निर्णायक होता है।
* इस Vote को **Casting Vote** कहा जाता है।

Role and tenure of deputy speaker
(उपसभापति की भूमिका और कार्यकाल)

- Since the 11th Lok Sabha, there has been a consensus that the Speaker comes from the ruling party (or ruling alliance) and the post of Deputy Speaker goes to the main opposition party/ ग्यारहवीं लोकसभा के बाद से, यह आम सहमति रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल (या सत्तारूढ़ गठबंधन) से होता है और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को मिलता है।
- Deputy Speaker is elected after the election of the Speaker has taken place. / उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है।
- He is also elected by the Lok Sabha itself from amongst its members./ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- The date of election of the Deputy Speaker is fixed by the Speaker./ उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।

Speaker Pro- tem

- According to the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly-elected Lok Sabha./ संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है।
- Speaker Pro-Tem institution facilitates the transition of the institution from old ones to newly elected members / अस्थायी अध्यक्ष, पुरानी लोकसभा से नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन का कार्यभार सौंपने में सहायता करता है।
- He also enables the House to elect the new Speaker/ वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार भी देता है।
- Therefore, the President appoints a member of the Lok Sabha as the Speaker Pro-Tem. Usually, the senior most member is selected for this./ इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर, इसके लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है।
- He presides over the first sitting of the newly-elected Lok Sabha./ वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।
- Main onus of Speaker Pro-Tem is to administer oath to the new members. / अस्थायी अध्यक्ष का मुख्य दायित्व नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है।

Article 94

- Vacation, Resignation, removal of speaker and deputy speaker. / अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवकाश, त्यागपत्र, हटाया जाना।
- Resignation: speaker resigns to deputy speaker and vice versa. / त्यागपत्र: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष उसे त्यागपत्र देते हैं।
- Removal : By effective majority / निष्कासन: प्रभावी बहुमत द्वारा
- Speaker continues till the new speaker is elected. / नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं।

Article 95

- Power to perform duties/ कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति
- Deputy speaker presided when speaker is absent./ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
- If the seat is vacate, then President can chose any member to discharge the duties./ यदि पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को कार्यभार सौंपने के लिए चुन सकते हैं।
- If the speaker and deputy speaker, both are absent, then; one member of the Panel of Chairpersons, appointed by the speaker presides./ यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों अनुपस्थित हों, तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के पैनल का एक सदस्य अध्यक्षता करता है।

Article 97

- Salaries and allowances. / वेतन और भत्ते।
- Salaries of chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha are decided by the Parliament. / राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संसद द्वारा तय किए जाते हैं।

Article 98

- Secratariat of Parliament / संसद का सचिवालय
- Each house has its separate secretariat staff./ प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होता है।
- Secretariat appointed by President on advice of the Speaker of the Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha./ सचिवालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर की जाती है।

Article 99

- Oaths or affirmation by members.
- Every member of each house must take oath before taking his/her seat as administered by the President or a person appointed by him.
- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होगी, जैसा कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासित किया जाता है।

Article 100

- Voting in House and Quorum
- The chairman and speaker shall not vote in first instance but can cast a casting vote.
- If quorum is not met , the house is adjouned.
- सदन में मतदान और गणपूर्ति
- अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करेंगे, लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं।
- यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है।

Quorum : 1/10th of the total strength of the house

Article 101

- Vacation of seats.
- No person shall be a member of both the houses.
- No person can be a member of state legislative assembly or member of parliament.
- सीटों का रिक्त होना।
- कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति राज्य विधान सभा या संसद का सदस्य नहीं हो सकता।

Article 102

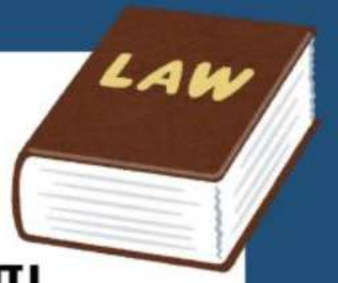

- **Disqualification for membership. /** सदस्यता के लिए अयोग्यता।
- **Found guilty of certain election offences. /** कुछ चुनावी अपराधों का दोषी पाया गया।
- **Convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years. (Not valid for preventive detention law). /** किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 2 या अधिक वर्षों का कारावास हो। (निवारक निरोध कानून के अंतर्गत मान्य नहीं)।
- **Failed to lodge an account of his election expenses. /** अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- **Any interest in government contracts, works or services. /** सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं।

Article 102

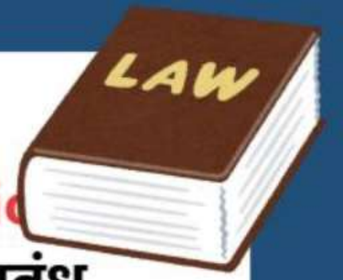

- Be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share. / किसी ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंध प्रतिनिधि न हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।
- Dismissed from government service for corruption or disloyalty to the State. / भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- Convicted for promoting enmity between different groups or for the offence of bribery. / विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी पाया गया।
- Punished for preaching and practising social crimes such as untouchability, dowry and sati. / अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार और अभ्यास करने के लिए दंडित किया गया।

Note: President's decision is final on the question on any of the above disqualifications with opinion of the election commission./ उपरोक्त किसी भी अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग की राय से राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है।

DISQUALIFICATION ON GROUND OF DEFECTION
दलबदल के आधार पर अयोग्यता

10th Schedule of Constitution

- **Final decision by the Chairman in the case of Rajya Sabha and Speaker in the case of Lok Sabha (and not by the president of India)** / राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं)
- **Decision is subject to judicial review (kihoto Hollohan case 1992).** / निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन मामला, 1992)।
- **Voluntary gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the House**/ वह जिस राजनीतिक दल के टिकट पर सदन के लिए निर्वाचित हुआ है, उसकी सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है
- **Votes or abstains from voting in the House contrary to any direction given by his political party**/ अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।

DISQUALIFICATION FOR MEMBERSHIP

- A-101. Vacation of seats / सीटों का रिक्त होना
- A-102. Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
- A-103. Decision on questions as to disqualifications of members / सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय
- A-104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 99 or when not qualified or when disqualified/ अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने पर या अयोग्य होने पर दंड

Article 105: powers, privileges, and immunities of Parliament members/ संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

- Freedom of speech in parliament/ संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- No proceedings in parliament can be questioned in any court of law./ संसद की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- No MP is liable for anything said or any vote given in parliament./ कोई भी सांसद संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- Protection in case of civil arrest during a session 40 days before and after the session/ सत्र के दौरान नागरिक गिरफ्तारी के मामले में सत्र से 40 दिन पहले और बाद में सुरक्षा
- This protection does not apply to criminal arrest or preventive detention./ यह सुरक्षा आपराधिक गिरफ्तारी या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती है।

Article 106

- salaries and allowances of members.
- सदस्यों के वेतन और भत्ते।
- Fixed by the Parliament.
- संसद द्वारा निर्धारित।

Types of Bills in Parliament / संसद में विधेयकों के प्रकार :

Article 107

- Ordinary bills / साधारण विधेयक
- Citizenship amendment bill/ नागरिकता संशोधन विधेयक
- Constitutional amendment bill/ संविधान संशोधन विधेयक
- Financial bill/ वित्तीय विधेयक

Ordinary bill: Bills which are concerned with any matter other than financial subjects are ordinary bills.

साधारण विधेयक: वे विधेयक जो वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हों, साधारण विधेयक कहलाते हैं।

Article 108

Joint sitting is taken from the Australian constitution/
संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है

- **Joint sitting of Both the Houses of Parliament.** / संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- **the Constitution provided an extraordinary machinery of Joint sitting to resolve a deadlock between the two Houses over the passage of a bill./** संविधान ने किसी विधेयक के पारित होने को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की है।
- **Potential situations of deadlocks – after a bill has been passed by one House and transmitted to the other House**/ गतिरोध की संभावित स्थितियाँ - एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने और दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद
- **If the bill is rejected by the other House** / यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है

Summoned by the President of India

Article 108

- If the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill / यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच अंतिम असहमति हो जाती है
- If more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it./ यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्राप्त होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधेयक पारित नहीं हुआ है।
- Provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only. / संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है।
- Provision of joint sitting is not applicable to money bill and constitutional amendment bill./ संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है।

- The joint sitting is governed by the Rules of Procedure of Lok Sabha and not of Rajya Sabha./ संयुक्त बैठक लोकसभा के प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित होती है, न कि राज्यसभा के।
- Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses and the Deputy Speaker, in his absence./ लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।

❑ Joint Sittings in the Indian Parliament (SINCE 1950) / भारतीय संसद में संयुक्त बैठकें (1950 से)

- 1961 – Dowry prohibition bill (Lok Sabha was disagreed with proposed amendments) / दहेज निषेध विधेयक (लोकसभा प्रस्तावित संशोधनों से असहमत थी)
- 1978 – Banking services commission reform bill (rejected by Rajya Sabha) / बैंकिंग सेवा आयोग सुधार विधेयक (राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत)
- 2002 – Prevention of terrorism bill (Rajya Sabha rejected the bill)/ आतंकवाद निवारण विधेयक (राज्यसभा ने विधेयक को अस्वीकृत कर दिया)

Article 109

- **Special procedure for Money bills/** धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया
- **Money bill can be introduced in Lok Sabha only on the recommendation of the President. /** धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- **After a bill is passed to Rajya Sabha it can approve, suggest amendments or to take no action on the bill but it must give its assent within 14 days./** राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, वह उसे स्वीकृत कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर अपनी सहमति देनी होगी।
- **Lok Sabha may accept or reject the bill but Rajya Sabha can only give suggestions/** लोकसभा विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है।
- **If Rajya Sabha does not pass the bill within 14 days , it shall be deemed to be passed by the houses./** यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।

Definition of Money Bills
धन विधेयक की परिभाषा

Article 110

Money Bill
धन विधेयक

- It states that a bill is deemed to be a money bill if it contains 'only' provisions dealing with all or any of the following matters:
- यह कहा गया है कि कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें 'केवल' निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हों:

- ✓ The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.
- ✓ किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- ✓ The regulation of the borrowing of money by the Union government.
- ✓ संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।
- ✓ The custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India.
- ✓ भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) या भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) की अभिरक्षा।
- ✓ The payment of moneys into or the withdrawal of money from any such fund.
- ✓ ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना।

Money bill
धन विधेयक
(Art. 110)

- Presented in Loksabha
- Tax → घटाना / बढ़ाना

finance bill
वित्त विधेयक
(Art. 117)

} Almost Same but Comprehensive (विस्तार में)

Definition of Money Bills
धन विधेयक की परिभाषा

Article 110

- ✓ The appropriation of money out of the Consolidated Fund of India.
- ✓ भारत की समेकित निधि से धन का विनियोजन।
- ✓ Declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India or increasing the amount of any such expenditure.
- ✓ भारत की समेकित निधि पर आरोपित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे व्यय की राशि में वृद्धि।
- ✓ The receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the Public Account of India or the custody or issue of such money.
- ✓ भारत की समेकित निधि या भारत के लोक लेखा (Public Account of India) के खाते में धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम।
- ✓ Or the audit of the accounts of the Union or of a State.
- ✓ या संघ अथवा किसी राज्य के लेखों (accounts) का लेखा-परीक्षण (audit)।

Article 112

- Annual financial statement (Budget) / वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- The term “budget” has nowhere been used in the Constitution rather refers to the budget as the “annual financial statement” under Art. 112./ संविधान में कहीं भी "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।
- Annual budgeting started in India in 1860./ भारत में वार्षिक बजट की शुरुआत 1860 में हुई थी।
- The budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the GoI in a financial year along with other provisions./ बजट, एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, अन्य प्रावधानों के साथ, होता है।
- Financial year of GoI – Begins on 1 April and ends on 31 March of the following year./ भारत सरकार का वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।
- Prior to 2017, the Government of India had two budgets / 2017 से पहले, भारत सरकार के दो बजट होते थे।

Article 113

- Procedure in parliament with respect to Estimates / अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
- Estimates of expenditure are divided into two parts:/ व्यय के अनुमान दो भागों में विभाजित हैं:
  - ✓ Charged on consolidated fund of India/ भारत की समेकित निधि पर भारित
  - ✓ Made from consolidated fund of India/ भारत की समेकित निधि से निर्मित

Article 114

- Appropriation bills / विनियोग विधेयक
- The appropriation bill is introduced to authorized the withdrawal of money from the consolidated fund of India. / भारत की समेकित निधि से धन निकालने को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है।

Article 115

- supplementary , Additional , excess grants / अनुपूरक, अतिरिक्त, अतिरिक्त अनुदान

Article 116

- vote on account, vote on credit, and exceptional grants/ लेखानुदान, ऋण पर मतदान, और असाधारण अनुदान

- Different types of fund mentioned in the constitution:
- संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की निधियाँ:
  1. Consolidated fund of India / भारत की समेकित निधि (Article 266)
  2. Public account of India / भारत का सार्वजनिक खाता (Article 266)
  3. Contingency fund of India / भारत की आकस्मिकता निधि (Article 267)

Article 117

- special provisions for financial bills/ वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान

Article 118

- Rules of Procedure./ प्रक्रिया नियम।
- Each house of Parliament may make rules for regulating its procedures and code of conduct./ संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रियाओं और आचार संहिता को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

Article 119

- regulation of Procedure for financial Business/ वित्तीय कार्य के लिए प्रक्रिया का विनियमन

Article 120

- Languages used in the Parliament./ संसद में प्रयुक्त भाषाएँ।

Parliamentary Committee

Permanent Committee
(स्थायी समिति)

Temporary committee
(अस्थायी समिति)

Standing committee

Ad- hoc committee

Financial committee

1. Public accounts Committee
2. Estimates Committee
3. Committee On Public Undertakings

Public Accounts Committee
(लोक लेखा समिति)

- First setup in 1921 under the provisions of the GoI Act of 1919
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार स्थापित
- In 1921, PAC was headed by the Finance minister
- 1921 में, PAC का नेतृत्व वित्त मंत्री करते थे।
- Presently, it consists of 22 members
- वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य हैं (Lok Sabha – 15 and Rajya Sabha – 7)

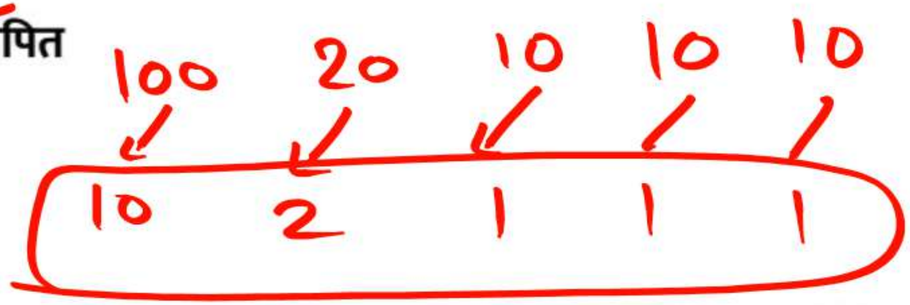

- Election of members– Every year by the Parliament from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.
- सदस्यों का चुनाव - संसद द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।
- Term of office of the members– one year.
- सदस्यों का कार्यकाल - एक वर्ष।
- A minister cannot be elected as a member of the committee.
- किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।

Since 1967 a convention has developed whereby the chairman of the committee is selected invariably from the Opposition. Earlier was from the ruling party.
1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से चुना जाता है।
पहले यह पद सत्ताधारी दल से होता था।

Estimates committee
(अनुमान समिति)

- The origin can be traced to the standing financial committee set up in 1921./ इसकी उत्पत्ति 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से मानी जा सकती है।
- The first Estimates Committee was constituted in 1950 on the recommendation of John Mathai, the then finance minister/ पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था।
- All the 30 members are from Lok Sabha only./ सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से हैं।
- The Rajya Sabha has no representation in this committee./ इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- Election of members– Every year by the Lok Sabha from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. It ensures that all parties get due representation in it. / सदस्यों का चुनाव- लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिले।
- Term of office– one year./ कार्यकाल- एक वर्ष।
- A minister cannot be elected as a member of the committee/ किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।

Committee on Public Undertakings
(सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति)

- First created in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee./ कृष्ण मेनन समिति की सिफ़ारिश पर 1964 में पहली बार इसका गठन किया गया था।
- Presently, it consists of 22 members (Lok Sabha – 15 and Rajya Sabha – 7)/ वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य हैं (लोकसभा - 15 और राज्यसभा - 7)।
- Election of members– Every year by the Lok Sabha from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. It ensures that all parties get due representation in it./ सदस्यों का चुनाव - लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिले।
- Term of office– one year. / कार्यकाल - एक वर्ष।
- A minister cannot be elected as a member of the committee/ किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।

Business Advisory Committee
(व्यापार सलाहकार समिति)

- Organizing House Proceedings in the Indian Parliament
- भारतीय संसद में सदन की कार्यवाही का आयोजन
- Committee regulates the programme and time table of the House.
- समिति सदन के कार्यक्रम और समय-सारिणी का नियमन करती है।
- Lok Sabha Committee consists of 15 members including the Speaker as its chairman.
- लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं।
- Rajya Sabha Committee consists of 11 members including the Chairman as its ex officio chairman.
- राज्यसभा समिति में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं।